

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

5/स्था०-02-01/2013

407(5)

/स्वा०, पटना, बिहार, दिनांक- 08/04/2015-

अधिसूचना

स्वास्थ्य विभागीय कार्यालय आदेश सं०-81(5) दिनांक 19.01.15 के कंडिका-4 को आंशिक संशोधन करते हुए जिन समितियों में श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नामित थे। इन कार्यों से श्री कुमार को मुक्त किया जाता है।

उपरोक्त अंकित समितियों में श्री शेखर चन्द्र वर्मा, संयुक्त सचिव को अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

1. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. विभागीय कार्यालय आदेश सं०-81(5) दिनांक 19.01.15 की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।



(यशस्पति मिश्र)


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-5/स्था०-02-01/2013

407(5)

स्वा०/पटना, दिनांक- 08/04/2015-

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आशुलिपिक/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/निदेशक, दे०चि०/राज्य औषधि नियंत्रक/सभी उप निदेशक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।